राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

क्रमांकः–राजस्व / 2025 / 2013-2014 दिनांक :– 13/11/2025

प्रेषितः–

1. भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा
2. पटवारी, पटवार हल्का कपूरड़ी

विषय :–अतिकमी को बेदखल कर जुर्माना राशि वसुलने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निम्नांकित अतिकमियों के विरूद्ध इस न्यायालय के निर्णय के द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिकमियों के विरूद्ध बेदखली एवं जुर्माना राशि वसूली करने के आदेश पारित किये गये है :–

क.सं	मु.नं0	प्रार्थी	विप्रार्थी	ग्राम	खसरा नम्बर	अतिकमित रकबा हैक्टेयर में	जुर्माना रू.	निर्णय दिनांक
1	01 / 2025	पटवारी कपूरड़ी	श्री जोधाराम पुत्र श्री टीकूराम जाति जाट निवासी जसनाथ नगर	जसनाथ नगर	240	0.4872	9	13.11.2025

अतः आप उक्त निर्णय की पालना में अतिकमी को अतिकमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल करते हुए जुर्माना राशि वसूल करने की कार्यवाही कर पालना से तत्काल अवगत करावें।

(अमीत खान)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

दिनांक :– 13/11/2025

कमांकः–राजस्व / 2025 / 2015

प्रतिलिपि :– तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को मांग कायमी एवं जुर्माना राशि दर्ज करने हेतु।

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : अमीन खान

राजस्व आवेदन सं. 01/2025

प्रार्थी– **बनाम** **विप्रार्थी–**

राज्य सरकार जरिये
पटवारी कपूरड़ी

श्री जोधाराम पुत्र श्री टीकूराम जाति जाट
निवासी जसनाथ नगर, तहसील बाड़मेर
ग्रामीण

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13.11.2025

01. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.05.2025 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2082 के दौरान ग्राम जसनाथ नगर के खसरा नम्बर 240 रकबा 1.1221 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सड़क में से 0.4872 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ करके अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण किया गया है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

02. पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिए नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। जो व्यक्तिगत रूप से बाद तामिल होकर प्राप्त।

03. विप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब अनुसार विप्रार्थी की पुराने समय से कब्जा काश्त है एवं उक्त भूमि कटान गलत दर्ज हुई है एवं उक्त भूमि की उन्हें कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिली है।

04. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, निरीक्षक भू.अ. की जांच, हल्का पटवारी के बयान एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। उक्त अनुसार विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर बाड़ बनाकर कब्जा किया है, जो अवैध है तथा विप्रार्थी के पास उक्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं है।

05. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.18 का 50 गुना रूपये 9/– (अक्षरे नौ रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं।

08. **भू–अभिलेख निरीक्षक जालीपा एवं पटवारी कपूरड़ी** को निर्देशित किया जाता हैं विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि राज्य कोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

06. निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमीन खान)

तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बाड़मेर ग्रामीण